कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती।

(जिला बस्ती राज्य उत्तर प्रदेश)

पत्रसंख्या बेसिक–4/ 4951-58 /2015–16 दिनांक 31/08/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,

इण्डियन पब्लिक स्कूल, गुलौरी बुजुर्ग, हरिवंशपुर, बस्ती।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 29.04.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं इण्डियन पब्लिक स्कूल, ग्राम गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पोस्ट–हरिवंशपुर, ब्लाक–दुबौलिया, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती तारीख 29.04.2015 से तारीख 30 जून, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राईमरी, प्राईमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएं तथा एक से आठ तक की कक्षाएं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) प्रवेश दिये गये किसी बाल को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं–

(क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र उपलब्ध है।

(ख) क्रीडा स्थल है।

(ग) कक्षा कक्षो की संख्या मानकानुसार उपलब्ध है।

(घ) प्राध्यापक सह कार्यालय–सह–भण्डार गृह के लिए कक्ष है।

(ङ) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है।

(च) पेयजल सुविधा है।

(छ) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई नहीं है।

(ज) बाधारहित पहुंच है।

अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल कोकिसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक–BST   है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट/सूचनाएं समनय प्रस्तुत की जायेगी और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन किया जायेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करें या विद्यालय के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई कूटरचित/फर्जी/प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय,

(एम0पी0 सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती

पृ0सं0 बेसिक–4/   /2014–15 दिनांक उक्त प्रकार।

प्रतिलिपि सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती

Principal
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती।

पत्रांक :/बेसिक/स0प्रा0/458 /2018–19 दिनांक:11/3/2019

इण्डियन पब्लिक स्कूल

गुलौरी बुजुर्ग

हरिवंशपुर, जनपद–बस्ती (उ0प्र0)

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 27.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के क्रम में आप को अवगत कराना है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, बस्ती की जांच आख्या दिनांक 06.03.2019 के अनुसार इण्डियन पब्लिक स्कूल, गुलौरी बुजुर्ग, हरिवंशपुर, जनपद–बस्ती की प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 (अंग्रेजी माध्यम) तक (पत्र संख्या–4/4957–58/2015–16 दिनांक 31.08.2015 के द्वारा) मान्यता प्राप्त है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–डी0ई0/बे0शि0प0/2828–2919/2010–11 दिनांक 07 जुलाई, 2010 एवं शासनादेश सं0–419/79–6–2015–18(20)/91 दिनांक 8 मई 2013 के अनुसार विद्यालय वर्तमान शैक्षिक सत्र में संचालित है एवं मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है।

M.R. Rajbhar

(एम0आर0राजभर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बस्ती।

Principal
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध
सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

मान्यता के सम्बन्ध में

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँक: 08 मई, 2013

विषयः अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

श्री अशोक राव
समस्त BEO को
वितरित करा दें
ह0 09.5.13
(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर

सेवा में
खण्ड शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

निर्देश- पत्र का सम्यक अध्ययन कर लें। नियमानुसार कार्यवाही
प्रकरण महत्वपूर्ण/समयबद्ध है।

ह0 09.5.2013
(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

Principal
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

संलग्नक- कुल 19 पृष्ठ

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

GORP

Principal
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti